कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

//आदेश//

क्रमांक 41 /रीडर/कोविड–19/2020, जगदलपुर दिनांक 28/07/2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) एक संक्रामक बिमारी है। इस बिमारी से विश्व में आज दिनांक तक कुल 16495309 व्यक्ति संक्रमित हो चुके है, और अभी तक कुल 654327 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित है, जिनमें कुल 1485935 प्रकरणो की पुष्टि हो चुकी है, और कुल 33479 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5172 धनात्मक मरीजो की पहचान की जा चुकी है, एवं प्रतिदिन कोरोना पाजिटिव मरीजो की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार बस्तर जिले में भी विशेषतः नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। आज दिनांक तक कुल 69 कोरोना पाजिटिव मरीजो की पहचान बस्तर जिले में की गई है, और यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पाजिटिव पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेन्ट जोन बनाये गये है। इसके बावजूद इन क्षेत्रो में कोरोना पाजिटिव मरीजो की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बिमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इसके बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम, जगदलपुर (रायपुर रोड़ आसना नाका तक–जयपुर रोड में संपूर्ण आड़ावाल ग्राम पंचायत तक–चित्रकोट रोड में ग्राम पंचायत कुम्हरावण्ड तक–गीदम रोड परपा थाना तक क्षेत्र को शामिल किया जाता है) एवं नगर पंचायत, बस्तर के क्षेत्रो को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।

(अ) महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर के नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपात स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु दिनांक 31/07/2020 प्रातः 11.00 बजे से 06/08/2020 दिनांक रात्रि 12.00 बजे तक निम्नांकित गतिविधियो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है :–

(ब) यह भी आदेशित किया जाता है कि :–

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ...

28/7/2020

(1) नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।

(2) जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसे, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

(3) नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर दोनो स्थानो की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।

(4) नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र की सभी दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर/थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को दिनांक 29/07/2020 एवं 30/07/2020 हेतु प्रातः 06.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक आदेश क्रमांक क/रीडर/2020, जगदलपुर दिनांक 20/07/2020 के अनुसार यथावत् रहेगी,

(A) ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31/07/2020 को प्रातः 11.00 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियो के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। शेष लाकडाउन की अवधि में (अर्थात् दिनांक 31.07.2020 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 06.08.2020 तक) केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी। उक्तावधि में दुकानो को खोलने की अनुमति नही होगी।

(5) नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री/निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी –

क– यथासंभव श्रमिको की रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी।

ख– आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बस्तर (छ.ग.)

28/7/20

Scanned with CamScanner

ग– संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत् रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानो के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

घ– इन इकाईयों से धनात्मक मरीजो की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाली समस्त व्ययो का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री/निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

(7) सभी धार्मिक स्थल (मंदिर/मस्जिद/चर्च/गुरूद्वारा), सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

(8) विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये है, उन्हे यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(9) सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशो का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 01 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

(स) फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है –

(1) आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी। ये भी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुको का प्रवेश नही होगा।

(2) पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)

(3) भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय।

(4) कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी ।

(5) स्वास्थ्य सेवाऐं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) ।

(6) दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बस्तर (छ.ग.)

28/7/20

Scanned with CamScanner

(7) खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाऐं। मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम (जोमैटो/स्वीगी इत्यादि) से विकय किया जा सकेगा।

(8) ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी विकय करने वाले व्यक्तियों को विकय करने की अनुमति प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

(9) स्थायी दुकानो/स्थानो पर विकय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

(10) दुग्ध संयंत्र (Milk Plant)

(11) घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विकेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.30 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(12) मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां/एटीएम/एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेन्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाला वाहन।

(13) बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।

(14) जेल।

(15) अग्निशमन सेवाऐं।

(16) एटीएम।

(17) टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाऐं/आई.टी. आधारित सेवाऐ एवं सर्विसेस दुकाने।

(18) पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी.- के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियो की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

(19) पशु चारा

(20) पोस्टल सेवायें

(21) खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति

(22) होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाये। किसी प्रकार से टेक अवे (Take Away) की सुविधा नही होगी।

(23) सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)

(24) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी स्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

(25) न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपर्जान में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेसिंया इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शांमिल है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

28/7/2020

Scanned with CamScanner

(26) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया

(27) "पेट्स शॉप/एक्युरियम प्रातः 09.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (केवल उनके द्वारा रखे गये पशुओ को आहार खिलाने हेतु खोलने की अनुमति होगी। किसी प्रकार से विक्रय करने की अनुमति नही होगी।)

(28) राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द. **नगर पालिक निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर के सीमा क्षेत्र में स्थित** समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. सभी बैंको को दोपहर 03.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी एवं अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिकगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकमतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुदा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ई. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका–स. में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के द्वारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ओ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

28/7/2020

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–बस्तर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला बस्तर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक 42 / रीडर / कोविड–19 / 2020, जगदलपुर दिनांक 28 / 07 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसम्पर्क, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला–बस्तर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/7/2020

(रजत बंसल)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला–बस्तर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला बस्तर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner